राजस्थान विधान सभा

नवम् सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

1- श्री राजेन्द्र राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(54)पट्टा-अभि/विधि/परा/2017/271 दिनांक 6.4.2017 जिसके द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र में सरकारी कार्यालय हेतु भूमि के नि:शुल्क आवंटन हेतु ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को सशर्त अधिकृत किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2017/289 दिनांक 12.4.2017 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2017/447 दिनांक 17.5.2017 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एसईसीरूल//लीगल/पीआर/2007/474 दिनांक 25.5.2017 जिसके द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है; एवं
5. अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एम/रूल/लीगल/पीआर/2017/1055 दिनांक 29.8.2017 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ।

2- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या: आरएफसी/एफपीए-23(16) दिनांक 21.7.2017 जिसके द्वारा दी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1951 की धारा-23 सपठित धारा-48 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम एम्पलोईज पेंशन रेग्युलेशन, 1990 को दिनांक 21 जून, 2004 से विदड्रा किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..2..

3- श्री युनूस खान, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

<u>परिवहन विभाग</u>

1. अधिसूचना संख्या: एफ.6(75)/परि/कर/मु./08/41009 दिनांक 21.8.2017 जिसके द्वारा दिनांक 23.8.2017 से 6.9.2017 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला-जैसलमेर) आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों पर देय 5500/- रूपये से अधिक के करों का परिहार किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.6(96)/परि/कर/मु./उर्स/32152 दिनांक 23.3.2017 जिसके द्वारा दिनांक 23.3.2017 से 9.4.2017 तक अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों पर देय 5500/- रूपये से अधिक के करों का परिहार किया गया है; एवं
3. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)/परि/कर/मु./95/37521 दिनांक 12.6.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)/परि/कर/मु./95/22-सी दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

4- श्री गजेन्द्र सिंह, पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

<u>पर्यावरण विभाग</u>

1. अधिसूचना संख्या: एफ.27(31)पर्या/78/पार्ट-II दिनांक 4.5.2017 जिसके द्वारा श्री अशोक लाहोटी, महापौर, नगर निगम, जयपुर को पूर्व महापौर श्री निर्मल नाहटा के स्थान पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया गया है; एवं
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)पर्या/2016 दिनांक 21.8.2017 जिसके द्वारा फ्लाई ऐश ईंट बनाने वाले निर्माताओं को आने वाली बाधाओं के संबंध में कतिपय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।

<u>(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे</u>

1- श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रेल, 2014 से 31 मार्च, 2015)

(II) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-35(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 से 2015-2016 तथा मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016.

(III) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015.

जारी..3..

2- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय); एवं

2- राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा-34(3) (का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015.

3- श्री सुरेन्द्र गोयल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, मैमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड़ का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4- श्री अरूण चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

5- श्री श्रीचन्द कृपलानी, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016; एवं

2- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित लेखे वर्ष 2016-2017.

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 35वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

> "यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 35वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री प्रध्युमन सिंह, सभापति, जनलेखा समिति, 2017-2018 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.1 आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 185वां प्रतिवेदन ।

जारी..4..

2. जनलेखा समिति, 2016-17 के 112वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 186वां प्रतिवेदन ।
3. जनलेखा समिति, 2015-16 के 83वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 187वां प्रतिवेदन ।
4. जनलेखा समिति, 2013-14 के 252वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 188वां प्रतिवेदन ।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.24 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 189वां प्रतिवेदन ।
6. जनलेखा समिति, 2015-16 के 87वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 190वां प्रतिवेदन ।
7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.22 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 191वां प्रतिवेदन ।
8. जनलेखा समिति, 2016-17 के 117वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 192वां प्रतिवेदन ।
9. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.1.1, 3.1.2 एवं 3.2.4 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 193वां प्रतिवेदन।
10. जनलेखा समिति, 2015-16 के 69वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 194वां प्रतिवेदन ।
11. जनलेखा समिति, 2015-16 के 86वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 195वां प्रतिवेदन ।
12. जनलेखा समिति, 2016-17 के 147वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 196वां प्रतिवेदन ।

जारी..5..

13. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.4.1 एवं 3.4.7 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 197वां प्रतिवेदन ।

14. जनलेखा समिति, 2016-17 के 146वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 198वां प्रतिवेदन ।

15. जनलेखा समिति, 2015-16 के 63वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 199वां प्रतिवेदन ।

16. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.13 चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 200वां प्रतिवेदन।

17. जनलेखा समिति, 2015-16 के 96वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 201वां प्रतिवेदन ।

18. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.2 एवं 3.5 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 202वां प्रतिवेदन ।

19. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.17 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 203वां प्रतिवेदन ।

20. विनियोग लेखे वर्ष 2014-15 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 204वां प्रतिवेदन ।

21. जनलेखा समिति, 2015-16 के 94वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 205वां प्रतिवेदन ।

22. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य-वित्त) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 1.2.1, 1.2.3, 1.4.6, 1.7.3.2, 1.8.4 वित्त विभाग, अनुच्छेद संख्या 2.5 वित्त एवं अल्पसंख्यक मामलात तथा अनुच्छेद संख्या 3.6 वित्त विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 206वां प्रतिवेदन ।

23. जनलेखा समिति, 2015-16 के 89वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 207वां प्रतिवेदन ।

जारी..6..

24. जनलेखा समिति, 2016-17 के 111वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 208वां प्रतिवेदन ।

25. जनलेखा समिति, 2016-17 के 114वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 209वां प्रतिवेदन ।

26. जनलेखा समिति, 2016-17 के 173वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 210वां प्रतिवेदन ।

27. जनलेखा समिति, 2016-17 के 158वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 211वां प्रतिवेदन ।

28. जनलेखा समिति, 2016-17 के 140वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 212वां प्रतिवेदन ।

29. जनलेखा समिति, 2015-16 के 95वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 213वां प्रतिवेदन ।

30. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.20 युवा मामले एवं खेल विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 214वां प्रतिवेदन ।

31. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.14 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 215वां प्रतिवेदन।

32. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 2.1 कृषि विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 216वां प्रतिवेदन ।

33. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 2.1 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 217वां प्रतिवेदन ।

34. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2013-14 के अनुच्छेद संख्या 3.5, वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.5 तथा 3.9 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 218वां प्रतिवेदन ।

जारी..7..

35. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.21 युवा मामले एवं खेल विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 219वां प्रतिवेदन ।
36. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 3.1 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 220वां प्रतिवेदन ।
37. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 1.4.5 वित्त, गृह, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, विधि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 221वां प्रतिवेदन ।
38. जनलेखा समिति, 2016-17 के 157वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 222वां प्रतिवेदन ।
39. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2010-11 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 2.1 से 2.14.6 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 223वां प्रतिवेदन ।
40. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 224वां प्रतिवेदन ।
41. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 225वां प्रतिवेदन ।
42. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2013-14 में अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.10 आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 226वां प्रतिवेदन ।
43. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 6.1 से 6.10.3 वित्त आबकारी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 227वां प्रतिवेदन ।
44. जनलेखा समिति, 2016-17 के 115वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (आबकारी विभाग से संबंधित) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2017-18 का 228वां प्रतिवेदन ।

जारी.8..

(II) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, याचिका समिति, 2017-2018, समिति के राजस्व विभाग से संबंधित नवें एवं जन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्री मोहन लाल गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 1999-2000 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 20वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 93वां प्रतिवेदन;

2- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 के 111वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 94वां प्रतिवेदन;

3- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 21वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 95वां प्रतिवेदन;

4- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 66वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 96वां प्रतिवेदन;

5- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 39वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 97वां प्रतिवेदन;

जारी..9..

6- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2009-2010 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 28वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 98वां प्रतिवेदन;

7- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 33वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 99वां प्रतिवेदन;

8- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011 से संबंधित अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 39वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 100वां प्रतिवेदन;

9- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2011-2012 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 34वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 101वां प्रतिवेदन;

10- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2012-2013 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 44वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 102वां प्रतिवेदन;

11- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन) (वाणिज्यिक) वर्ष 2012-2013 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 46वें प्रतिवेदन में समाविष्ट वित्त निगम से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 103वां प्रतिवेदन; एवं

12- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 78वें प्रतिवेदन में समाविष्ट राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़ से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 104वां प्रतिवेदन ।

जारी..10..

(IV) श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 2017-2018, समिति के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित पांचवे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

5. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017

(I) डॉ. रामप्रताप, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता (संशोधन) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-37)

"राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम,2000 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-41)

"राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 23 अक्टूबर, 2017